न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील / एल.आर / 4407 / 2005 / धौलपुर

रामपाल(मृतक) पुत्र गजाधर जाति काछी निवासी ग्राम बिजौली तहसील बाडी जिला धौलपुर जरिए कायममुकामः–
1 / 1 मुन्ना पुत्र स्व0 रामपाल
1 / 2 विरोगी पुत्र राधे पुत्र रामपाल
1 / 3 लहौटी बेवा रामपाल
1 / 4 रामभुली पुत्री रामपाल
1 / 5 सुखी पुत्री रामपाल
समस्त जाति काछी निवासी ग्राम बिजौली तहसील बाडी जिला धौलपुर ।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1.रमजी
2 विजेन्द्र
3 रामेश्वर
4 केदार
5 सरनाथ
पुत्र दलेलसिंह समस्त जाति गुर्जर निवासी कचेलपुरा मजरा बिजौली तहसील बाडी जिला धौलपुर
6 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर
7 आवंटन कमेटी जरिए उपखण्ड अधिकारी अध्यक्ष आवंटन कमेटी बाडी
8. पंजाब नेशनल बैंकशाखा बिजौली जरिए प्रबन्धक तहसील बाडी जिला धौलपुर ।

रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री अजयपाल डिंढारिया , श्री उमेश गौड, अधिवक्तागण अपीलार्थी
2. श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक– 23.12.19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–7–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत विरूद्व अपीलाण्ट के न्यायालय जिला कलेक्टर, धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 1479 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बिजौली तहसील बाडी किस्म सिवाय चक भूमि का आवंटन से पूर्व आवंटित भूमि की सूची तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई न ही उपखण्ड अधिकारी ने आवंटन से पूर्व धारा 7 के अन्तर्गत उदघोषणा जारी नहीं की गई । आवंटन कमेटी ने विधिवत आवंटन नहीं किया तथ्ज्ञा आवंटन कोरम पर दिनांक अंकित नहीं है न ही पटवारी की रिपोर्ट पर तारीख अंकित है तथा फार्म भी पूरा नहीं था इस प्रकार आवंटन दिनांक 24–10–77 प्रभावहीन एवंशून्य होने के कारण निरस्तनीय है । उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाव अप्रार्थी संख्या 1 रामपाल द्वारा दिया गया । उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–3–2003 से रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज कर अपीलाण्ट के विरूद्व चल रही आवंअन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत कार्यवाही ड्रॉप कर दी । उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13–7–2005 द्वारा अपील स्वीकार कर ली । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13–7–2005 के विरूद्व यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3. हमने विद्वान उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि अपीलाण्ट को विवादित भूमि का आवंटन करने से पूर्व नियमानुसार उद्घोषणा जारी की गई थी एवं आवंटन की दिनांक को अपीलाण्ट भूमिहीन था तथा उसके पिता के नाम 2 बीघा भूमि थ्झी जिसके तीन पुत्र थे इस प्रकार पिता से प्राप्त हुई भूमि से वह भूमिहीन था एवं आ वंटित भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि आपीलाण्ट के पास नहीं थी आवंटन नियमों की पालना करने के पश्चात ही भूमि का आवंटन किया गया था एवं आवंटन के पश्चात भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा अपीालण्ट ने भूमि को विकसित करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिा है जो

पूर्ण जांच के पश्चात दिया गया था इसके अलावा जमाबंदिया आदि दस्तावेज से अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर खातेदार होकर कब्जा होना पूर्णतया सिद्ध है किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने सरसरी तौर पर कानूनी नजीरों एवं दस्तावेजों का विवेचन नहीं कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय निरसत कर जिला कलेक्टर, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आवंटन आदेश को बहाल रखा जावे ।

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाण्ट द्वारा आवंटन कमेटी को धोखा देकर विवादित आराजी का आवंटन कराया है जबकि उसके पिता के पास 3 बीघा भूमि थ्झी इस तथ्य को छिपाकर आवंटन कराया है । विवादित भूमि पर आज दिनांक तक आज तक कब्जा नहीं है न ही उसके द्वार ाकाश्त की है आवंटन नियमों कीशर्तो का उल्लंघन किया है ं विवादित आराजी पर रेस्पोडेण्ट का ही कब्जा है तथा संवत 2047 से काश्त कर रहे हैं । अपीलाण्ट द्वारा पटवारी एवं तहसीलदार से साजिश कर नामान्तरकरण दर्ज करा लिया एवं उसके आधार पर ऋण भी पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त कर लिया । किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इनत थ्यों पर गौर नहीं कर उसके प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को खारिज किा है जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय निरस्त कर उसकी अपील स्वीकार की है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रार्थना–पत्र पेश कर निम्न दस्तावेज खसरा गिरदावरी संवत 2066 से 2069, खसरा गिरदावरी संवत 2070 से 2073, आदि रेकार्ड पर लिए जाने हेतु निवेदन किया

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. सर्वप्रथम रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–प्त्र के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया । दस्तावेज एक खसरा गिरदावरियां की सत्यापित प्रतिया है जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाना उचित है । अतः रेस्पोडेण्ट द्वार ाप्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर दस्तोवज रिकार्ड पर लिए जाते हैं जो शामिल मिसल है ।

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि खसरा गिरदावरी संवत 2037–2040 , 2042–2045, 2046–2049, 2050 से 2053, 2054 से 2056 में खसरा नंबर 1479 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा ग्राम बिजौली भूमि की किस्म बारानी दोयम पर

अपीलाण्ट रामपाल पुत्र गजाधर कौम काछी सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है एवं बाद में खातेदार दर्ज किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है । रेस्पोडेण्ट द्वारा इसके विपरीत अपने समर्थन मे कोई राजस्व रिकार्ड ऐसा प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि आवंटन अपीलाण्ट को न होकर रेस्पोडेण्ट को हुआ है । विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात ही रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज किया है । किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने बिना दस्तावेजों का अवलोकन किए ही सरसरी तौर पर रेस्पोडेण्ट की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्व है । राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 13–7–2005 में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में साक्ष्यों को बिना देखे एवं विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में अंकित उक्त कथन सही नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 31–3–2003 में स्पष्ट अंकित किया है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त की है तथा इसको खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं । अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे मिस रिप्रजन्टेशन एण्ड फ्राड साबित हो । विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तोवजों का अवलोकन किए जाने के पश्चात ही उन्होंने रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) को खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि या तात्विक अनियमितता नहीं है जिसे खारिज कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–7–2005 निरस्त किया जाता है । जिला कलेक्टर, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–3–2003 बहाल रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य